सं०सं०–एम–4–36 / 2025...8008/ वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक–17-07-2025

विषयः– सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों / निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता के भुगतान के संबंध मे।

वित्त विभागीय संकल्प सं०–6530, दिनांक–31.07.2008 की कंडिका–2 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान 18,400–500–22,400 रूपये एवं इससे ऊपर के वेतनमान में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों / निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों (चाहे वे किसी भी सेवा के हों) को घरेलू सहायता भत्ता के रूप में ₹3000 प्रतिमाह उपलब्ध कराने का निर्णय संसूचित हुआ। इस क्रम में आरक्षी पदाधिकारी, जिन्हें अर्दली की सुविधा पुलिस मैनुअल के अन्तर्गत अनुमान्य है, को दोनों में से एक सुविधा प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया।

2. राज्य कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण (दिनांक–01.01.2006 एवं दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से) तथा श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना सं०–3809, दिनांक–30.09.2022 द्वारा अकुशल मजदूर हेतु दिनांक–01.10.2022 के प्रभाव से न्यूनतम मजदूरी (₹373.00 प्रतिदिन) निर्धारित किये जाने के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों / निदेशालयों में वेतन–स्तर–14 एवं इससे ऊपर के वेतन–स्तर में पदस्थापित पदाधिकारियों (चाहे वे किसी भी सेवा के हों) के लिए घरेलू सहायता भत्ता का पुनरीक्षण वित्त विभागीय संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–10443 दि०–09.11.2022 द्वारा किया गया ।

3. विभागीय संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक–10443 दिनांक–09.11.2022 की कंडिका–3(i) में प्रावधानित है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा अकुशल मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में पुनरीक्षण किये जाने की स्थिति में घरेलू सहायता भत्ता भी उस हद तक पुनरीक्षित हो जायेगा।

4. श्रम संसाधन विभाग के स्तर से दिनांक–30.09.2022 के पुनरीक्षण के पश्चात् विभिन्न तिथियों पर अकुशल मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया जो निम्नवत् अवलोकनीय है :–

क्र	अधिसूचना का संदर्भ	न्यूनतम मजदूरी की दर	प्रभावी तिथि
1	अधिसूचना–सह –पठित ज्ञापांक –1687 दिनांक–31.03.2023	₹388.00 प्रतिदिन	01.04.2023
2	अधिसूचना–सह –पठित ज्ञापांक –5362 दिनांक–27.09.2023	₹395.00 प्रतिदिन	01.10.2023
3	अधिसूचना–सह –पठित ज्ञापांक –1496 दिनांक–14.03.2024	₹410.00 प्रतिदिन	01.04.2024
4	अधिसूचना–सह –पठित ज्ञापांक –07 दिनांक–30.09.2024	₹412.00 प्रतिदिन	01.10.2024
5	अधिसूचना–सह –पठित ज्ञापांक –1659 दिनांक–28.03.2025	₹424.00 प्रतिदिन	01.04.2025

5. अतएव सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों में वेतन–स्तर–14 एवं इससे ऊपर के वेतन–स्तर में पदस्थापित पदाधिकारियों (चाहे वे किसी भी सेवा के हों) के लिए घरेलू सहायता भत्ता के क्रम में अकुशल मजदूरों/कामगारों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर को उपर्युक्त तालिका के अनुरूप प्रभावी तिथिवार पुनरीक्षित किया जाता है । इस क्रम में दि०–01.04.2025 के प्रभाव से घरेलू सहायता भत्ता की अद्यतन पुनरीक्षित दर निम्नवत् होगी:–

"₹424.00 प्रतिदिन की दर से ₹12,720.00 (₹424.00 X 30दिन) प्रतिमाह ।"

6. तद्नुसार वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10443 दिनांक–09.11.2022 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

16/7/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव
वित्त विभाग, पटना।

ज्ञापांकः– एम–4–36 / 2025–8008 / वि०, पटना, दिनांक–17-07-2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16/7

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः–एम–4–36 / 2025–8008 / वि०, पटना, दिनांक–17-07-2025

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन / विकास भवन / सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16/7/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः– एम–4–36 / 2025–8008 / वि०, पटना, दिनांक–17-07-2025

प्रतिलिपिः– महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16/7/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः– एम–4–36 / 2025–8008 / वि०, पटना, दिनांक–17-07-2025

प्रतिलिपि :– सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16/7/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः– एम–4–36 / 2025–8008 / वि०, पटना, दिनांक–17-07-2025

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/7/25

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव ।